RAJYA SABHA

Friday, the 29th July, 2005/7 Sravana, 1927 (Saka)

The House Met at Eleven of the Clock,

MR. CHAIRMAN in the CHAIR.

MEMBER SWORN

Shri Shantaram Laxman Naik (Goa)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Questions.

छोटी जोत के किसानों को समर्थन मूल्य नीति के लाभ

*81. **श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:†**
श्री रवि शंकर प्रसाद:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 89.35 मिलियन कृषक परिवार हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आंकलन क्या है और क्या यह भी सच है कि इनमें से 66 प्रतिशत परिवारों के पास मात्र एक हैक्टेयर अथवा इससे कम कृषि भूमि है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में छोटी जोत के किसानों को सरकार की समर्थन मूल्य नीति का कोई लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस वर्ग के किसानों की भूमि को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गई है?

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) मई, 2005 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी की गई किसानों की स्थिति के मूल्यांकन सर्वेक्षण पर आधारित "कृषक परिवारों की ऋणग्रस्तता" शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार देश में ग्रामीण परिवारों की संख्या 148 मिलियन है जिसमें से कृषक परिवारों की संख्या 89.4 मिलियन है। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि इन परिवारों में से 66 प्रतिशत (59 मिलियन) के पास एक हैक्टेयर अथवा इससे कम भूमि है।

(घ) और (ङ) छोटे और सीमान्त किसान भी विपणनीय अधिशेष (सरप्लस) में योगदान देते हैं, अत: न्यूनतम समर्थन मूल्य भूमि धारकों (लैंड होल्डर्स) के सभी वर्गों के लिए लाभप्रद है। इसके साथ-साथ समर्थन मूल्य राष्ट्र के लिए मूल्य स्थायित्व और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए फसलों के उत्पादन के लिए सही संकेत देते हैं। भारतीय आबादी का एक बहुत बड़ा भाग कृषि में लगा हुआ है अत: स्थायी खाद्य मूल्य व्यवस्था उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में दोनों को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

Benefits of Support price policy to small land holders

†*81. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††
SHRI RAVI SHANKAR PRASAD:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are around 89.35 million families which are associated with agriculture in the country;

(b) if not, Government's assessment thereof and whether it is also a fact that out of these, 66 per cent families are having one hectare or lesser agriculture land only;

(c) if not, the facts in this regard;

(d) whether it is also a fact that small land holders in the country are not getting any benefit from the ongoing support price policy of Government; and

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

(e) if so, the reaction of Government thereto and scheme formulated by Government to make the land of farmers belonging to the said group, beneficial?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) According to the Report titled "Indebtedness of Farmer Households" based on the Situation Assessment Survey of Farmers released by the National Sample Survey Organisation (NSSO) in May, 2005, the number of rural household in the country is 148 million of which number of farmer households are 89.4 million. The Survey also reveals that 66 per cent (59 million) of these households possess one hectare or less of land.

(d) and (e) Minimum Support Prices are beneficial to all segments of land holders, since small and marginal farmers also contribute to marketable surplus. Further, support prices provide the right signals for production of crops, ensuring price stability and food security for the nation. As large segments of the Indian population are engaged in agriculture, a stable food price regime enables them to benefit both as producers and consumers.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सभापति जी, प्रश्न के उत्तर से साफ है कि देश में कुल किसान परिवारों का 4 परसेंट एक हेक्टेयर से कम जमीन का मालिक है। इसी सर्वे के मुताबिक इनकी बहुत संख्या कर्ज में डूबी रहती है। एक हेक्टेयर से कम वाला किसान अलाभकारी खेती कर रहा है और इसी अलाभकारी खेती के कारण किसान दिया हुआ कर्ज भुगता नहीं पाता और कर्ज में डूबा रहता है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज तक जो भी उपाय किए गए हैं, उसका इन छोटे जमींदारों को कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरी विनती है कि क्या सरकार एक हेक्टेयर से कम मालिक वाले किसानों को आधार मान कर कोई नई नीति घोषित करेगी? अगर जवाब ना में है तो इसका क्या कारण है? क्योंकि पहले जो भी उपाय किए गए हैं, उसका लाभ एक हेक्टेयर से कम वाले जमींदार को बहुत कम मिला है।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, सरकार पूरी तरह से उनकी चिन्ता में शामिल हैं । जहां तक ग्रामीण परिवारों की संख्या इस देश में है, वह 14.8 करोड़ है, जिसमें कुल किसान परिवारों की संख्या 8.9 करोड़ है। माननीय सदस्य महोदय

ने जिन किसानों का सवाल उठाया है, एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों की संख्या 5.9 करोड़ है, जो किसान परिवारों की संख्या का लगभग 66 प्रतिशत आता है। इन 5.9 करोड़ किसान परिवारों को भी एमएसपी का लाभ मिल रहा है। इससे निश्चित रूप से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को सहमत होना चाहिए कि एमएसपी से न केवल किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जाता है, बल्कि देश में लोगों को फूड सिक्यूरिटी भी दी जाती है। यह बात ठीक है कि जो बड़े किसान हैं, उनका मार्केट सरप्लस ज्यादा है, लेकिन जो छोटे किसान हैं खासकर उनका जीवन-यापन उनकी उपज पर ही निर्भर करता है। चाहे वह बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का सवाल हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो या बच्चों की स्कूल या कालेज की फीस देने का सवाल हो, वह अपना अनाज बेचकर ही इन खर्चों को पूरा कर पाता है। महोदय, लगभग हर साल सरकार एम॰एस॰पी॰ बढ़ाती रही है और इस साल भी उसने इसे 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। महोदय, देश के पूरे प्रोडक्शन की जो मात्रा है, उस में लगभग 17 और 20 परसेंट हमारे मार्जिनल फार्मर्स का कंट्रीब्यशून है। उसी अनुपात में प्रोक्योरमेंट में भी, मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता क्योंकि प्रोक्योरमेंट के समय हम किसानों से उनकी per hecture जमीन की जानकारी नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है, उसमें प्रोक्योरमेंट में भी इन मार्जिनल फामर्स का कंट्रीब्यूशन 17 और 20 परसेंट के लगभग है।

महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल उठाया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यू॰पी॰ए॰ सरकार ने अपने पहले बजट में रूरल क्रेडिट को तीन साल में दोगुना करने की बात कही है। पहले साल हमने रूरल क्रेडिट को one third जीपतक से ज्यादा achieve भी किया है और मुझे आशा है कि दूसरे साल में भी हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सभापति जी, जब भी small holding वाले किसान की फसल पकती है, वह उसे उसी वक्त उठाता है और मंडियों में ले जाता है। महोदय, मैं भी जमींदार हूं, आप इंक्वायरी करा लीजिए, जब छोटे जमींदार की उपज मंडियों में आती है, उस वक्त तक सरकारी एजेंसियां मंडियों में दाखिल नहीं होती हैं और छोटे जमींदार के पास रिसोर्सेस भी नहीं होते कि वह अपनी उपज अपने घर में रख सके। उसकी उपज को आढ़ती और व्यापारी कम मूल्य में खरीद लेते हैं। जब सरकारी एजेंसियां मडियों में आती हैं, यही आढ़ती या व्यापारी किसानों से कम मूल्य में ली हुई उपज पर सपोर्ट प्राइस का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए मेरी विनती है कि सारी एजेंसियों, जिसमें एफ॰सी॰आई॰ भी है, को हिदायत दी जाए कि मंडियों में जब उपज आती है, उसी वक्त वे मंडियों में दाखिल हों। वे पहले जैसा न करें कि यह डेट फिक्स की है, वह डेट फिक्स की है। इस से एक हैक्टेयर के किसान का भला नहीं हो सकता जब तक कि इन एजेंसियों को बोला न जाए कि जब किसान की उपज आए, आप उसे उसी वक्त खरीदो।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में कहा है और मैं भी किसान परिवार से आता हूं व एक साल का इस मंत्रालय में काम करने का जो मेरा अनुभव रहा है, उस आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि छोटे किसानों को कहीं से भी कम लाभ नहीं मिलता है क्योंकि उनका भरण-पोषण उनकी फसल या उपज पर निर्भर करता है और प्रोक्योरमेंट केवल एफ॰सी॰आई॰ नहीं करती है एफ॰सी॰आई॰ के अलावा भी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड टोबेको बोर्ड और अन्य स्टेट एजेंसियां करती हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ठीक है। श्री रवि शंकर प्रसाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सभापति जी, यह प्रश्न बहुत ही संवेदनशील है। हमारी अपेक्षा थी कि यहां माननीय कृषि मंत्री जी स्वयं उपस्थित होते। माननीय राज्यमंत्री जी, आपने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकारा है कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ असेसमेंट ऑफ फार्मर्स में 66% एक हेक्टेयर से कम के हैं, यानी लघु या सीमांत किसान, स्माल मार्जिनल फार्मर्स हैं। अगर उस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो हिन्दुस्तान के लगभग 50% किसान कर्ज की स्थिति में हैं, debt में हैं, अर्थात् 66 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान, उनमें से 50 प्रतिशत कर्जदार हैं, तो केवल किसानों की आबादी का लगभग 75 से 80 प्रतिशत आज कर्ज में है। इसका कारण यह है कि कर्ज देने में कठिनाई नहीं है कि कर्ज कैसे दिया जाए? समस्या यह है कि जो समर्थन मूल्य की नीति चल रही है, उससे किसानों को अपनी कृषि को उपजकारी कार्य के तरीके से करने की स्थिति नहीं बन पा रही है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्वैश्चन करिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आप से मेरा प्रश्न है कि जब आपके सामने सरकार के National Statistical विभाग से एक प्रामाणिक सर्वे आया है तो क्या (अ) छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार नई नीति के बारे में कुछ सोचती है? (ब) जो अभी समर्थन मूल्य चल रहा है, क्या उसका सही लाभ उसको मिल रहा है, और (स) कि जो भूमंडलीकरण चल रहा है, उस आलोक में छोटे और सीमांत किसानों के हित-चिन्ता की दृष्टि से सरकार क्या प्रयास कर रही है? ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं रविशंकर जी का धन्यवाद करता हूं कि वे गांव के गरीब लोगों से जुड़े सवाल की तरफ गए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: हम शुरू से जाते रहे हैं। आप चिन्ता मत करिए। ...(व्यवधान)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: मैं आपको जानता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ...(व्यवधान) आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: हम लोग एक ही स्टेट के रहने वाले हैं ...(**व्यवधान**)... मैं जानता हूं कि आप खेत से कितना जुड़े रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: फिर बहुत-सी बातें निकलेंगी ...(**व्यवधान**)... खेती में चारा भी होता है ...(**व्यवधान**)... फिर बहुत-सी बातें निकलेंगी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप अपने आपको क्यों एक्सक्लूड कर रहे है ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: मैं आपके प्रश्न के उत्तर की तरफ आता हूं। आपने छोटे किसानों से संबंधित जो सवाल उठाए हैं तो आपको भी पिछली सरकार में काम करने का अवसर मिला है और अभी जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यू॰पी॰ए॰ गठबंधन की सरकार बनी है...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सीधे क्वैश्चन पर आ जाइए ...(**व्यवधान**)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सर, सवाल का उत्तर तो मैं दे चुका हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप सीधे खेत पर आइए और उसकी उपज पर आ जाइए।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: मैंने अपने उत्तर में पहले ही कहा था कि यू॰पी॰ए॰ गठबंधन की सरकार ने जो पहला काम अपने पहले बजट में किया था, वह रूरल क्रेडिट को तीन साल में दोगुना करने का किया। यह रूरल क्रेडिट दोगुना करने का संबंध सीधे गरीब और छोटे किसानों से, मझोले किसानों से, जो मार्जिनल फारमर्स हैं, उनसे जुड़ा है। जहां तक आपने एम॰एस॰पी॰ के बारे में कहा है कि इसका लाभ छोटे किसानो को नहीं मिलता है, इस बात पर मैं आपको कहना चाहता हूं और मैंने अपने उत्तर में आपको बताया भी है कि जो छोटे किसानों का परसेंटेज है, उसके अनुपात में एम॰एस॰पी॰ का लाभ भी उन किसानों को उतना मिलता रहा है, उतना मिलता है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है। ठीक है।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: जहां तक ग्लोबलाजेशन की बात आपने उठाई हैं, हम लोगों की सरकार ने...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: सर, मंत्री जी के खेत से उत्तर की उपज नहीं हो रही है...(**व्यवधान**)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: खेत की उपज नहीं हो रही है...(**व्यवधान**)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सभापति जी, मैं इनको इन्टरप्ट कर रहा हूं, इसलिए कृपया माफ करिए। मैंने जो पूछा...(**व्यवधान**)... वह तो बताएं न ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए न ...(व्यवधान)...आप डिस्टर्ब मत करिए ...(व्यवधान)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ा है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। ठीक है ...(व्यवधान)... आप जवाब तो सुन लें ...(व्यवधान)...

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: आज जो परिस्थिति है...(व्यवधान)... उसमें पवार साहब को इसकी चिन्ता है। उनको पूरे देश का ज्ञान है। छोटे किसानों को एम॰एस॰पी॰ का लाभ पापुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से मिलता है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री प्रशांत चटर्जी। आप बोलिए, बोलिए ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। आपने जो पूछना था, पूछ लिया और उन्होंने जो कहना था, कह दिया ...(व्यवधान)... मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। आप बैठिए। श्री प्रशांत चटर्जी।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, according to the census report, we find that the percentage of rural population and the percentage of cultivators, as compared to 1991-01, is coming down. The percentage of rural population which was 74.3 per cent, has come down to 72.2 per cent; the percentage of cultivators which was 59.7 per cent, has come down to 54.4 per cent, but the percentage of agricultural labour is going up. In 1991, it was 40.3 per cent; it went up to 45.66 per cent, and if you take the figure in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the percentage was 49 per cent. So, the number of landless peasantry is going up. According to the National Guidelines, in 1972, it was stated that while distributing surplus and wasteland through land reforms legislation, priority should be given to the agricultural labour and emphasis was given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But the percentage of landless peasantry is going up. My question is: As a long-term measure, is the Government serious enough to implement land reforms, to minimise the percentage of landless peasantry? The figure is otherwise.

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, देश में लगभग 70 प्रतिशत आबादी खेती में संलग्न है।

श्री सभापति: वह तो सब आंकड़ों की बात है, उसमें मत जाइए।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: उसमें, सभापति महोदय, 38 परसेंट लोग एग्रीकल्चर का

काम करते हैं और 31 परसेंट उसमें मजदूरी के काम में संलग्न है। करीब 512 मिलियन ... (व्यवधान)... आप जवाब तो सुनिए। ...(व्यवधान)... जवाब सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्यों डिसटर्ब कर रहे हैं?

श्री प्रेम गुप्ता: आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, this is not fair.

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... वैसे भी बैठे बैठे बोलना मना है।

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: हमने उत्तर में हमेशा यह कहा है और स्वीकार किया है कि एम॰एस॰पी॰ का लाभ सभी किसान वर्ग को मिलता रहा है, आनुपातिक जो लेंड होल्डिंग है, उसके अनुसार उनको मिलता है और सरकार छोटे किसानों के सवाल को लेकर प्रतिबद्ध है।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, the question is something. (*Interruptions*)

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज सरकार ने हार्टिकल्चर मिशन और जो दूसरे ...(व्यवधान)

श्री मनोज भट्टाचार्य: सर, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और। ...(व्यवधान)

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, 20 मिनट निकल गया है, अगला क्वैश्चन लेना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए, मंत्री जी को। ...(व्यवधान)... आप चाहते क्या हैं? कृपया आप एक मिनट बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: Sir, the question is something else and the hon. Minister is replying something else. (*Interruptions*)

श्री सभापति: पुंज साहब, आप बैठिए। यह गलत बात है। मैं यह कहता हूं कि अगर आप क्वैश्चन के आन्सर से सेटिसफाइ नहीं हैं तो रूल्स में एक प्रावधान है कि आप हाफ एन आवर डिसकशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... आप बीच में मत बोलिए, मुझे अकेले बोलने दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, इस पर हाफ एन आवर चर्चा होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जी, चर्चा करने के लिए नियम हैं। ...(व्यवधान)... अगर चर्चा करानी है, तो उसके नियम हैं ...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)... आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: We seek the protection of the Chair. ...(*Interruptions*)... Sir, we seek the protection of the Chair.

डा॰ अखिलेश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, दूसरा सवाल जो इन्होंने लैंड रिफार्म्स का उठाया है, वह स्टेट सब्जेक्ट है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री महोदय, सबकी तरफ से मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि जितने छोटे किसान हैं और जिनकी होल्डिंग छोटी है, उनके लिए आप कर्जे की तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन वह कर्जा केवल खेती के काम के लिए लिया जाए, इसकी व्यवस्था करते हैं। उनकी कुछ सोशियल कमिट्मेंट्स होती हैं जिनके कारण वे मनी-लेंडर्स से कर्जा लेते हैं और जिस समय फसल पकती है, वह मनी-लेंडर खेत में पहुंच जाता है। उस समय आपके MSP से मंडी में काम चालू नहीं होता है, जिसके कारण किसान को उस समय डिस्ट्रैस सेल करनी पड़ती है। उस डिस्ट्रैस सेल से किसान को किस प्रकार से बचाएं, उसका एक तरीका है कि कानून बना हुआ है, मनी लेंडर एक्ट तो है ही, जितने भी कोआपरेटिव्स के गोदाम हैं, उन गोदामों में, कई स्टेटस ने कर रखा है कि 75 परसैंट ऑफ दि कमोडिटीज कॉस्ट, वे उनको पेमैंट कर देते हैं और जिस समय किसान को मंडी में ज्यादा कीमत मिलती है, उस समय वह अपना अनाज ले जाकर मंडी में बेच देता है। इसको आप लागू कर दें तो इस समस्या का अधिकांश समाधान हो जाएगा। ...(व्यवधान)... Next Question. डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा।

मोबाइल वैनों के माध्यम से टिकटों की बिक्री

82. डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा:*
प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार मोबाइल वैनों द्वारा रेल की टिकटें बेचने की योजना बनाने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक प्रारंभ कर दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ वेलू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।।

विवरण

(क) से (ग) मोबाइल वैनों के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बिक्री की व्यवस्था

*सभा में यह प्रश्न डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा द्वारा पूछा गया।